

**अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश काउंसलिंग (AISSAC) 2023  
के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)**

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है

## विषय सूची

क्र.सं.	सामग्री पृष्ठ	सं
1	सामान्य	5
2	प्रवेश	5
3	आरक्षण मापदंड	7
4	उम्मीदवारों का वर्गीकरण	7
5	सीटों का वितरण	11
6	रैंक सूची	13
7	अनुक्रम जिसमें सीट आवंटन के लिए सीट श्रेणियों पर विचार किया जाता है	16
8	एकाधिक छात्र-समान रैंक नियम	18
9	विवरणों का सत्यापन	18
10	पंजीकरण और स्कूलों की पसंद भरना	18
11	सीट आवंटन के बाद उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध विकल्प	20
12	सीट का अनंतिम प्रस्ताव और इसकी पुष्टि	21
13	भौतिक रिपोर्टिंग के दौरान दस्तावेजों में श्रेणी/लिंग/अधिवास विसंगतियां	23
14	शिकायत निवारण/हेल्पडेस्क	24
15	सैनिक स्कूलों की सूची	25
16	स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों की सूची (साझेदारी मोड में)	26
17	प्रवेश परामर्श प्रवाह चार्ट	27

## संकेताक्षर की सूची

एसएसएस	-	सैनिक स्कूल सोसायटी
AISSEE	-	अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा
AISSAC	-	अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परामर्श
एनटीए	-	नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
एचएस	-	गृह राज्य
ओएस	-	राज्य के बाहर/अन्य राज्य
एआईआर	-	अखिल भारतीय रैंक
एसएस	-	सैनिक स्कूल (मौजूदा)
एनएसएस	-	न्यू सैनिक स्कूल (साझेदारी मोड में)
जनरल	-	जनरल (उम्मीदवार की श्रेणी के संबंध में)
ओबीसी-एनसीएल	-	अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर-मलाईदार परत
एससी	-	अनुसूचित जाति
एसटी	-	अनुसूचित जनजाति

## सामान्य

1. सैनिक स्कूल सोसाइटी (एसएसएस), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन, 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों सहित सैनिक स्कूलों का प्रबंधन करती है। ये स्कूल कैडेटों को अच्छा नागरिक बनाने और उन्हें जीवन के सभी कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में शामिल हैं। सैनिक स्कूलों और नए स्वीकृत सैनिक स्कूल में भागीदारी मोड में प्रवेश सैनिक स्कूल सोसायटी (एसएसएस) द्वारा शासित होते हैं। वर्तमान में, देश भर में कुल 33 मौजूदा सैनिक स्कूल और 18 स्वीकृत नए सैनिक स्कूल हैं।

2. सैनिक स्कूल (एसएस)। सैनिक स्कूल पूरी तरह से आवासीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं जो एक सामान्य पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं और सीबीएसई, नई दिल्ली से संबद्ध हैं। सैनिक स्कूल अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के अलावा अधिकारियों के रूप में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खडकवासला (पुणे), भारतीय नौसेना अकादमी, एड्जिमाला और अन्य प्रशिक्षण अकादमियों में शामिल होने के लिए कैडेट तैयार करते हैं। सभी मौजूदा सैनिक स्कूल केवल विज्ञान विषयों की धारा को पूरा करते हैं। शैक्षणिक उन्नति के अलावा, छात्रों को सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों और सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्यों के माध्यम से अपने रचनात्मक संकायों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें सभी प्रमुख खेलों से व्यवस्थित रूप से परिचित कराया जाता है और उन्हें एनसीसी प्रशिक्षण दिया जाता है। मौजूदा सैनिक स्कूलों की सूची परिशिष्ट-ए में दी गई है।

3. न्यू सैनिक स्कूल (एनएसएस)। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने गैर-सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्य सरकारों के साथ साझेदारी मोड में अनुमोदित नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए योजना को मंजूरी दी थी। ये स्वीकृत नए सैनिक स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करते हैं और स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों के लिए सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा, वे सैनिक स्कूल पैटर्न में छात्रों को शैक्षणिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों की फीस संरचना, शिक्षा बोर्ड और निर्देशों की भाषा अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग होती है। अनुमोदित नए सैनिक स्कूलों की सूची परिशिष्ट ख में दी गई है।

## प्रवेश

4. अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (एआईएसएसईई)- प्रवेश अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (एआईएसएसईई) में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित है। उम्मीदवारों का प्रवेश स्कूलवार, लिंगवार, श्रेणीवार (गृह राज्य और बाहरी राज्य) एआईएसएसईई 2023 की मेरिट सूची, सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अनुमोदित चिकित्सा फिटनेस में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रति रैंक के अनुसार ई-काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। और मूल दस्तावेजों का सत्यापन।

5. शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए केवल AISSEE 2023 के माध्यम से सैनिक स्कूल में कक्षा VI और कक्षा IX में प्रवेश है। स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों में सैनिक स्कूल पैटर्न के लिए प्रवेश केवल शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए AISSEE 2023 के माध्यम से कक्षा VI में है।

6. सैनिक स्कूल सोसाइटी ने मौजूदा और नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग (AISSAC) नाम से एक ई-काउंसलिंग पोर्टल विकसित किया है। उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक ई-काउंसलिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना अनिवार्य है, ताकि वे प्राप्त कर सकें। किसी भी मौजूदा और नए सैनिक स्कूल में AISSAC के माध्यम से सीटें आवंटित की जाएंगी। सीट मैट्रिक्स के रूप में जानी जाने वाली श्रेणी-वार प्रवेश क्षमता की घोषणा ऑनलाइन पोर्टल <https://mes.ncog.gov.in/sainikschoolecounselling> पर की जाएगी।

7. शैक्षणिक वर्ष 2023-24, AISSEE सीट आवंटन परामर्श (AISSAC) के लिए उपर्युक्त प्रवेश के लिए सीटों के आवंटन के लिए यहां बताई गई SOP का पालन किया जाएगा।

8. सीट आवंटन प्रक्रिया एक सख्त समयरेखा का पालन करती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और कंप्यूटर संचालित है। कोई अपवाद संभव नहीं है और इसलिए, उम्मीदवारों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे एसओपी के साथ पूरी तरह से परिचित हों, सतर्क रहें, अपने दस्तावेजों को संभाल कर रखें और अपेक्षित भुगतान करने की व्यवस्था पहले ही कर लें। किसी समय-सीमा का पालन करने या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोधों पर विचार करना संभव नहीं होगा। उम्मीदवार किसी भी प्रश्न के लिए सैनिक स्कूल/एसएसएस से संपर्क कर सकते हैं। सैनिक स्कूल सूचना टैब में पोर्टल पर संपर्क नंबर और ईमेल आईडी का उल्लेख किया गया है।

9. निम्नलिखित कारकों पर विचार करते हुए ई-काउंसलिंग में उम्मीदवार को स्कूल की उच्चतम संभावित पसंद के लिए एक सीट आवंटित की जाती है:

- (ए) एआईएसएसईई 2023 सूचना बुलेटिन में वर्णित उम्मीदवार के गृह राज्य (एचएस) या अन्य राज्य (ओएस) का अधिवास।
- (बी) श्रेणी [सामान्य, ओबीसी-एनसीएल, एससी, एसटी, डीईएफ] और उम्मीदवार का लिंग।
- (सी) संबंधित रैंक सूचियों में उम्मीदवार की अखिल भारतीय रैंक।
- (डी) उम्मीदवार द्वारा चुने गए स्कूलों की वरीयता का क्रम।
- (ई) विभिन्न सीट श्रेणियों/सीट कोटा में सीटों की उपलब्धता जिसके लिए उम्मीदवार योग्य है।
- (च) इस एसओपी में उल्लिखित अन्य नियम।

10. एनटीए एआईएसएसईई आयोजित करता है और सैनिक स्कूल सोसायटी सैनिक स्कूलों को सीट आवंटन के लिए नीतियां और मानदंड तैयार करती है। एसएसएस द्वारा जाने वाली उपरोक्त गतिविधियों के लिए ई-काउंसलिंग और प्रवेश की सेवाएं प्रदान करने के लिए बीआईएसएजी अपनी तकनीकी सहायता का विस्तार करेगा।

11. AISSAC/SSS के अलावा कोई भी एजेंसी मौजूदा और स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों में सीटों के आवंटन के लिए जिम्मेदार नहीं है। AISSAC/SSS द्वारा अधिकृत के अलावा किसी अन्य एजेंसी/एजेंट से सूचना/सहायता चाहने वाले उम्मीदवारों को अपने जोखिम और लागत पर ऐसा करना होगा। केवल एक आधिकारिक AISSAC 2023 वेबसाइट है, अर्थात्, <https://mes.ncog.gov.in/sainikschoolecounselling>।

12. कोई भी छात्र जो AISSEE 2023 के लिए उपस्थित हुआ है और AISSEE 2023 के लिए योग्य है, AISSAC पोर्टल के माध्यम से ई-काउंसलिंग के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है (AISSEE सूचना बुलेटिन 2023 में योग्यता मानदंड समझाया गया है)।

### **आरक्षण मानदंड**

13. मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के लिए आरक्षण मानदंड। सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण मानदंड वही हैं जो एआईएसएसईई 2023 एनटीए ब्रोशर में उल्लिखित हैं। इसे आगे की पंक्तियों में समझाया गया है:-

(ए) 67% सीटें राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जहां सैनिक स्कूल स्थित हैं। 33% सीटें अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। गृह राज्य की प्रत्येक श्रेणी के भीतर / UT और अन्य राज्यों / UT कोटे में सीटें निम्नलिखित आधार पर आरक्षित होंगी: -

- (i) 15% सीटें अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लिए आरक्षित हैं,
- (ii) अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लिए 7.5% और

(iii) केंद्रीय सूची के अनुसार गैर-मलाईदार परत (ओबीसी-एनसीएल) से संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 27%।

(बी) इस प्रकार, सैनिक स्कूल में 49.50% सीटें उपर्युक्त पंक्तियों पर आरक्षित हैं। शेष 50.50% सीटों में से होम स्टेट / यूटी और अन्य राज्यों / यूटी कोटा में 25% सीटें हैं। रक्षा के वार्ड (भारतीय सेना / भारतीय वायु सेना / भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों) के कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

(डी) "अन्य राज्यों / केंद्रशासित प्रदेश" कोटा में, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए श्रेणी में अधिकतम 25% रिक्तियों की सीमा के अधीन योग्यता के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में सीटें आवंटित की जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश सामान्य श्रेणी में 10 सीटें हैं, तो किसी भी राज्य को 3 से अधिक सीटें आवंटित नहीं की जाएंगी, यानी 10 का 25% या 2.5 को राउंड ऑफ 3 कर दिया जाएगा।

(ई) प्रत्येक सैनिक स्कूल की कक्षा छठी में, कुल रिक्तियों का 10% या 10 सीटें, जो भी अधिक हो, लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।

14. स्वीकृत नवीन सैनिक विद्यालयों में आरक्षण। एसएसएस की ओर से नए सैनिक स्कूलों में आरक्षण लागू करने के लिए कोई नीति नहीं है। नए सैनिक स्कूल में आरक्षण उनके प्रबंधन के निर्णय के अनुसार है।

### **उम्मीदवारों का वर्गीकरण**

15. सैनिक स्कूलों के लिए- गृह राज्य (एचएस) और बाहरी राज्य (ओएस) की अवधारणा उम्मीदवार के अधिवास से जुड़ी हुई है और एनटीए पोर्टल पर एआईएसएसईई 2023 के लिए पंजीकरण के दौरान उसके द्वारा चुने गए सैनिक स्कूल के स्थान के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। सैनिक स्कूलों का चयन उन उम्मीदवारों के लिए लागू होगा जिन्होंने एनटीए पोर्टल पर एआईएसएसईई 2023 के लिए पंजीकरण के समय निम्नलिखित संयोजन का विकल्प चुना है:-

(ए) सैनिक स्कूल (एसएस) केवल।

(बी) एसएस + एनएसएस 40% मार्ग (प्राथमिकता के क्रम में)।

(सी) एसएस+ एनएसएस-40% रूट+ एनएसएस 60% रूट (प्राथमिकता के क्रम में)।

16. सीट आवंटन के उद्देश्य से एआईएसएसईई 2023 योग्य उम्मीदवारों को उनके अधिवास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के वर्गीकरण के आधार पर, प्रत्येक उम्मीदवार को एक श्रेणी टैग दिया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

**(ए) होम स्टेट (एचएस) के लिए-** एक उम्मीदवार को गृह राज्य (एचएस) से संबंधित माना जाता है, यदि उसका राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अधिवास और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जहां उसके द्वारा अपने आवेदन में चुना गया सैनिक स्कूल स्थित है, वही हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात राज्य में रहने वाले एक उम्मीदवार ने अपने AISSEE 2023 आवेदन में बालाचडी (जिला जामनगर, गुजरात) में सैनिक स्कूल का विकल्प चुना है और उसी समय सैनिक स्कूल कालीकिरी (जिला अन्नमय्या, आंध्र प्रदेश) का विकल्प चुना है। -काउंसलिंग उसके दूसरे विकल्प के रूप में, फिर उम्मीदवार को सैनिक स्कूल बालाचडी (जिला जामनगर, गुजरात) में प्रवेश के उद्देश्य से गुजरात के गृह राज्य (एचएस) से संबंधित माना जाता है और बाहरी राज्य (ओएस) से संबंधित माना जाता है। ) सैनिक स्कूल कालीकिरी (जिला अन्नमय्या, आंध्र प्रदेश) में प्रवेश के उद्देश्य से, यदि उम्मीदवार को सैनिक स्कूल बालाचडी में सीट आवंटन नहीं मिलता है।

(i) श्रेणी टैग जनरल (एचएस)- यह सामान्य श्रेणी (HOME\_GEN) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है और गृह राज्य के लिए माना जाता है। उम्मीदवारों को यह टैग सौंपे जाने के लिए एक वैध अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) श्रेणी टैग ओबीसी-एनसीएल (एचएस)- यह अन्य पिछड़ा वर्ग (एचओएमई\_ओबीसी) के उम्मीदवार को सौंपा गया है और गृह राज्य के लिए माना जाता है। उम्मीदवारों को यह टैग सौंपे जाने के लिए अधिवास के साथ एक वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की केंद्रीय सूची में होना चाहिए।

(iii) श्रेणी टैग एससी (एचएस)- यह अनुसूचित जाति (एचओएमई\_एससी) के उम्मीदवार को सौंपा गया है और गृह राज्य के लिए माना जाता है। इस टैग को असाइन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिवास के साथ एक वैध एससी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जातियों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित संबंधित राज्य-वार सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

(iv) श्रेणी टैग एसटी (एचएस)- यह अनुसूचित जनजाति (एचओएमई\_एसटी) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है और गृह राज्य के लिए माना जाता है। इस टैग को असाइन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिवास के साथ एक वैध एसटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जनजातियों को भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित संबंधित राज्यवार सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

(v) श्रेणी टैग डीईएफ (एचएस)- यह उस उम्मीदवार को सौंपा गया है जो रक्षा का एक वार्ड है (भारतीय सेना / भारतीय वायु सेना / भारतीय नौसेना के कर्मियों की सेवा कर रहा है) और पूर्व सैनिक (एचओएमई\_डीईएफ) और गृह राज्य के लिए माना जाता है। उम्मीदवारों को वैध दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे [उदा. सेवा का प्रमाण पत्र (रक्षा श्रेणी-सेवा के लिए), पीपीओ (पूर्व सैनिकों के लिए) आदि] अधिवास के साथ इस टैग को सौंपा जाना है।

**(बी)** बाहरी राज्य (OS) के लिए- एक उम्मीदवार को अन्य राज्य (OS) से संबंधित माना जाता है, यदि उसका राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अधिवास और वह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जहां उसके द्वारा अपने आवेदन/ई-परामर्श में चुना गया सैनिक स्कूल स्थित है, अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात राज्य में रहने वाले एक उम्मीदवार ने अपने AISSEE 2023 आवेदन में सैनिक स्कूल कालीकिरी (जिला अन्नमय्या, आंध्र प्रदेश) का विकल्प चुना है और ई-काउंसलिंग के समय सैनिक स्कूल बालाचडी (जिला जामनगर, गुजरात) को चुना है। उसका दूसरा विकल्प, तब उम्मीदवार को कालीकिरी (जिला अन्नमय्या, आंध्र प्रदेश) में प्रवेश के उद्देश्य से बाहरी राज्य (OS) से संबंधित माना जाता है और गृह राज्य (HS) से संबंधित माना जाता है। सैनिक स्कूल बालाचडी (जिला जामनगर, गुजरात) में प्रवेश, यदि उम्मीदवार को सैनिक स्कूल कालीकिरी (जिला अन्नमय्या, आंध्र प्रदेश) में सीट आवंटन नहीं मिलता है।

(i) श्रेणी टैग जनरल (ओएस)- यह सामान्य श्रेणी (OTHER\_GEN) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है और बाहरी राज्य के लिए माना जाता है।

(ii) श्रेणी टैग ओबीसी-एनसीएल (ओएस)- यह अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य\_ओबीसी) के उम्मीदवार को सौंपा गया है और बाहरी राज्य के लिए माना जाता है। उम्मीदवारों को यह टैग असाइन करने के लिए एक वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र पेश करना होगा। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की केंद्रीय सूची में होना चाहिए।

(iii) श्रेणी टैग एससी (ओएस)- यह अनुसूचित जाति (OTHER\_SC) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है और राज्य के बाहर के लिए माना जाता है। उम्मीदवारों को यह टैग दिए जाने के लिए एक वैध एससी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जातियों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित संबंधित राज्य-वार सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।



(iv) श्रेणी टैग ST (OS) - यह अनुसूचित जनजाति (OTHER\_ST) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है और बाहरी राज्य के लिए माना जाता है। उम्मीदवारों को यह टैग दिए जाने के लिए एक वैध एसटी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जनजातियों को भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित संबंधित राज्यवार सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

(v) श्रेणी टैग डीईएफ (ओएस) - यह उन उम्मीदवारों को सौंपा गया है जो रक्षा के वार्ड हैं (भारतीय सेना / भारतीय वायु सेना / भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मी) और पूर्व सैनिक (OTHER\_DEF) और बाहरी राज्य के लिए माने जाते हैं। उम्मीदवारों को वैध दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे [उदा. सेवा का प्रमाण पत्र (रक्षा श्रेणी-सेवा के लिए), पीपीओ (पूर्व सैनिकों के लिए) आदि] को यह टैग सौंपा जाएगा।

### टिप्पणी:-

1. तेलंगाना राज्य के उम्मीदवारों को आंध्र प्रदेश में स्थित सैनिक स्कूल कोरुकोंडा और सैनिक स्कूल कालीकिरी दोनों में प्रवेश के लिए गृह राज्य में माना जाएगा।
2. जम्मू और कश्मीर में स्थित सैनिक स्कूल नगरोटा में प्रवेश के लिए गृह राज्य में लद्दाख (यूटी) के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

17. नए सैनिक स्कूलों के लिए -40% रूट (NSS40)-

(ए) स्वीकृत एनएसएस में सैनिक स्कूल स्ट्रीम के तहत कम से कम 40% सीटें एआईएसएसईई 2023 की अखिल भारतीय (एआई) मेरिट सूची में प्राप्त रैंक के आधार पर भरी जाएंगी। उम्मीदवार भारत में किसी भी एनएसएस का विकल्प चुन सकते हैं। ई-काउंसलिंग के समय यदि उन्होंने एनटीए पोर्टल पर एआईएसएसईई 2023 के लिए पंजीकरण के समय निम्नलिखित संयोजनों में से किसी एक का विकल्प चुना है: -

- (a) एसएस + एनएसएस 40% मार्ग (प्राथमिकता के क्रम में)।
- (b) एसएस+ एनएसएस-40% रूट+ एनएसएस 60% रूट (प्राथमिकता के क्रम में)।
- (c) NSS-40% रूट + NSS 60% रूट (प्राथमिकता के क्रम में)।
- (d) केवल NSS-40% रूट।

(बी) नए सैनिक स्कूल सीटों के संबंध में किसी भी समान आरक्षण नीति का पालन नहीं करते हैं। यदि कोई स्कूल आरक्षण नीति का पालन करने और सीट मैट्रिक्स को श्रेणीवार भरने का निर्णय लेता है, तो प्रत्येक उम्मीदवार को एक श्रेणी टैग दिया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

(i) श्रेणी टैग जनरल (NSS40)- यह सामान्य श्रेणी (NSS40\_GEN) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है। NSS40 रूट के तहत प्रवेश के उद्देश्य से, रक्षा श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।

(ii) श्रेणी टैग ओबीसी-एनसीएल (एनएसएस40)- यह अन्य पिछड़ा वर्ग (NSS40\_OBC) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है। इस टैग को असाइन करने के लिए उम्मीदवारों को एक वैध OBC-NCL प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की केंद्रीय सूची में होना चाहिए।

(iii) श्रेणी टैग एससी (एनएसएस40)- यह अनुसूचित जाति (NSS40\_SC) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है। उम्मीदवारों को यह टैग दिए जाने के लिए एक वैध एससी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जातियों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित संबंधित राज्य-वार सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

(iv) श्रेणी टैग ST (NSS40)। यह अनुसूचित जनजाति (NSS40\_ST) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है। इस टैग को असाइन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिवास के साथ एक वैध ST प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जनजातियों को भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित संबंधित राज्यवार सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

18. नवीन सैनिक स्कूलों के लिए -60% मार्ग (NSS60)।

(ए) एनएसएस में 60% सीटें वर्तमान में किसी भी स्वीकृत एनएसएस में कक्षा V में पढ़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी, जो एआईएसएसईई 2023 के लिए उपस्थित हुए हैं और योग्य हैं। वे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर भरे जाएंगे। स्कूल और उनके संबंधित स्कूल द्वारा भरी गई सीटों की उपलब्धता। यह उन उम्मीदवारों पर लागू होगा जिन्होंने एनटीए पोर्टल पर एआईएसएसईई 2023 के लिए पंजीकरण के समय निम्नलिखित संयोजन का विकल्प चुना है:-

- (i) एसएस+ एनएसएस-40% रूट+ एनएसएस 60% रूट (प्राथमिकता के क्रम में)।
- (ii) एसएस+एनएसएस-60% मार्ग (प्राथमिकता के क्रम में)।
- (iii) केवल एनएसएस 60% मार्ग।

(सी) इस श्रेणी में उम्मीदवारों को एनएसएस 60 का एक टैग दिया जाता है। यदि कोई स्कूल आरक्षण नीति का पालन करने और सीट मैट्रिक्स को श्रेणीवार भरने का निर्णय लेता है, तो प्रत्येक उम्मीदवार को नीचे दिए गए अनुसार एक श्रेणी टैग दिया जाता है: -

- (i) श्रेणी टैग जनरल (NSS60)- यह सामान्य श्रेणी (NSS60\_GEN) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है। NSS60 रूट के तहत प्रवेश के उद्देश्य से, रक्षा श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
- (ii) श्रेणी टैग ओबीसी-एनसीएल (एनएसएस 60)- यह अन्य पिछड़ा वर्ग (NSS60\_OBC) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है। इस टैग को असाइन करने के लिए उम्मीदवारों को एक वैध OBC-NCL प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की केंद्रीय सूची में होना चाहिए।
- (iii) श्रेणी टैग एससी (एनएसएस60)- यह अनुसूचित जाति (NSS60\_SC) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है। उम्मीदवारों को यह टैग दिए जाने के लिए एक वैध एससी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जातियों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित संबंधित राज्य-वार सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
- (iv) श्रेणी टैग ST (NSS60)- यह अनुसूचित जनजाति (NSS60\_ST) के एक उम्मीदवार को सौंपा गया है। उम्मीदवारों को यह टैग सौंपे जाने के लिए अधिवास के साथ एक वैध ST प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जनजातियों को भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित संबंधित राज्यवार सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

## सीटों का वितरण

S No	Category-Section	Categorytag(s)ofeligiblecandidates
1.	HOME_UN	HOME_GEN, HOME_OBC, HOME_SC, HOME_ST,
2.	HOME_OBC	HOME_OBC
3.	HOME_SC	HOME_SC
4.	HOME_ST	HOME_ST
5.	HOME_DEF	HOME_DEF
6.	OTHER_UN	OTHER_GEN, OTHER_OBC, OTHER_SC, OTHER_ST
7.	OTHER_OBC	OTHER_OBC
8.	OTHER_SC	OTHER_SC
9.	OTHER_ST	OTHER_ST
10.	OTHER_DEF	OTHER_DEF

19. सैनिक स्कूल- प्रवेश के उद्देश्य से कुल सेवन (अर्थात सीटों की संख्या) को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये हैं HOME\_DEF, HOME\_OBC, HOME\_SC, HOME\_ST, HOME\_UN, OTHER\_DEF, OTHER\_OBC, OTHER\_SC, OTHER\_ST, OTHER\_UN। विभिन्न श्रेणी वर्गों में पात्र उम्मीदवारों के श्रेणी टैग नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:

20. नए सैनिक स्कूल।

(ए) एनएसएस 40% रूट- एनएसएस 40 रूट के माध्यम से प्रवेश के उद्देश्य से कुल सेवन (अर्थात सीटों की संख्या) को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये NSS40\_UN, NSS40\_OBC, NSS40\_SC, NSS40\_ST हैं। NSS40 रूट के तहत प्रवेश के उद्देश्य से, रक्षा श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा और उन्हें NSS40\_GEN टैग सौंपा जाएगा। विभिन्न श्रेणी वर्गों में पात्र उम्मीदवारों के श्रेणी टैग नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:

S No	Category-Section	Categorytag(s)ofeligiblecandidates
(i)	NSS40_UN	NSS40_GEN, NSS40_OBC, NSS40_SC, NSS40_ST
(ii)	NSS40_OBC	NSS40_OBC
(iii)	NSS40_SC	NSS40_SC
(iv)	NSS40_ST	NSS40_ST

**नोट:** - मौजूदा सैनिक स्कूलों में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए श्रेणी टैग और लिंग टैग अलग-अलग होंगे क्योंकि दोनों लिंग के लिए रिक्तियां अलग-अलग हैं।

S No	Category-Section	Categorytag(s) of eligible candidates
(i)	NSS60_UN	NSS60_GEN, NSS60_OBC, NSS60_SC, NSS60_ST
(ii)	NSS60_OBC	NSS60_OBC
(iii)	NSS60_SC	NSS60_SC
(iv)	NSS60_ST	NSS60_ST

(बी) एनएसएस 60% रूट- एनएसएस 60 रूट के माध्यम से प्रवेश के उद्देश्य से कुल सेवन (यानी सीटों की संख्या) को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये एनएसएस60\_यूएन, एनएसएस60\_ओबीसी, एनएसएस60\_एससी, एनएसएस60\_एसटी हैं। एनएसएस 40 रूट के तहत प्रवेश के उद्देश्य से, रक्षा श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा और उन्हें एनएसएस 60\_जेन टैग दिया जाएगा। विभिन्न श्रेणी वर्गों में पात्र उम्मीदवारों के श्रेणी टैग नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:

21. विभिन्न उम्मीदवार श्रेणियों/कोटा के लिए एसएस और एनएसएस में उपलब्ध सीटों की स्कूल-वार संख्या, यदि लागू हो (यानी, सीट मैट्रिक्स), ऑनलाइन पोर्टल <https://mes.ncog.gov.in/sainikschoolecounseling> पर उपलब्ध होगी।

**नोट:-** स्वीकृत न्यू सैनिक स्कूल में यदि जेंडर न्यूट्रल में सीटें भरी जाती हैं, तो उम्मीदवारों को सीट का आवंटन लिंग की परवाह किए बिना मेरिट के अनुसार होगा।

उन पर लागू / उनके द्वारा तय की गई नीतियां। AISSAC 2023/सैनिक स्कूल सोसाइटी सीट मैट्रिक्स डेटा के लिए जिम्मेदार नहीं है।

### रैंक सूची

23. सैनिक स्कूल- एसएस में सीट आवंटन एआईएसएसईई 2023 अखिल भारतीय रैंक पर आधारित है। निम्न प्रकार की रैंक सूचियों का उपयोग किया जाएगा:

(ए) गृह राज्य के लिए- सभी उम्मीदवार (लड़के और लड़कियां दोनों) जो गृह राज्य श्रेणी से संबंधित हैं, जैसा कि उपरोक्त पैरा 16 (ए) में इस दस्तावेज़ में समझाया गया है, उनके गृह राज्य में स्थित सैनिक स्कूल के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।

(i) होम स्टेट-अनरिजर्वरैंक लिस्ट (एचओएमई\_यूएन)। होम\_यूएन श्रेणी में, वे उम्मीदवार जो गृह राज्य श्रेणी से संबंधित हैं, उनकी अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर उनकी श्रेणी (एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल) के बावजूद विचार किया जाएगा। उनके गृह राज्य में सैनिक स्कूल/एस के आवंटन के लिए। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें HOME\_UN, HOME\_OBC, HOME\_SC और HOME\_ST टैग दिया गया है।

(ii) गृह राज्य-ओबीसी (एनसीएल) रैंक सूची (एचओएमई\_ओबीसी)। होम\_ओबीसी श्रेणी में, ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के उम्मीदवार जो अपने अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर गृह राज्य श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें सैनिक स्कूल / के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। उनके गृह राज्य में एस. इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें HOME\_OBC टैग दिया गया है।

(iii) गृह राज्य- एससी रैंक सूची (एचओएमई\_एससी)- एचओएमई\_एससी श्रेणी में, होम स्टेट श्रेणी से संबंधित एससी श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अखिल भारतीय रैंक और

डोमिसाइल के आधार पर उनके होम स्टेट श्रेणी में सैनिक स्कूल के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें HOME\_SC टैग दिया गया है।

(iv) होम स्टेट-एसटी रैंक लिस्ट (एचओएमई\_एसटी)- होम\_एसटी श्रेणी में गृह राज्य श्रेणी से संबंधित एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर उनके गृह राज्य श्रेणी में सैनिक स्कूल/एस के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें HOME\_ST टैग दिया गया है।

(v) होम स्टेट-डिफेंस रैंक लिस्ट (HOME\_DEF)। होम\_डीईएफ श्रेणी में, गृह राज्य श्रेणी से संबंधित केवल रक्षा श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर उनके गृह राज्य श्रेणी में सैनिक स्कूल के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें HOME\_DEF टैग दिया गया है।

(बी) बाहरी राज्य के लिए- उपरोक्त पैरा 16 (बी) में इस दस्तावेज़ में वर्णित बाहरी राज्य श्रेणी से संबंधित सभी उम्मीदवारों को उनके गृह राज्य में स्थित सैनिक स्कूल/एस को आवंटित करने पर विचार किया जाएगा।

(i) बाहरी राज्य-अनारक्षित रैंक सूची (OTHER\_UN)। अन्य\_UN श्रेणी में, उम्मीदवार अपनी अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर बाहरी राज्य श्रेणी के हैं, भले ही उनकी श्रेणी (SC, ST और OBC-NCL) के लिए विचार किया जाएगा। बाहरी राज्य में सैनिक स्कूल/एस का आवंटन (गृह राज्य में स्थित के अलावा)। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें OTHER\_UN, OTHER\_OBC, OTHER\_SC, और OTHER\_ST का टैग दिया गया है।

(ii) राज्य के बाहर-ओबीसी (एनसीएल) रैंक सूची (अन्य\_ओबीसी)। बाहरी राज्य में (गृह राज्य में स्थित के अलावा)। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें OTHER\_OBC टैग सौंपा गया है।

(iii) बाहरी राज्य- एससी रैंक सूची (अन्य\_एससी)। अन्य\_एससी श्रेणी में, बाहरी राज्य श्रेणी से संबंधित एससी श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर बाहरी राज्य में सैनिक स्कूल के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। (गृह राज्य में स्थित के अलावा)। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें OTHER\_SC टैग दिया गया है।

(iv) बाहरी राज्य-एसटी रैंक सूची (अन्य\_एसटी) (गृह राज्य में स्थित के अलावा)। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें OTHER\_ST टैग सौंपा गया है।

(v) बाहरी राज्य-रक्षा रैंक सूची (OTHER\_DEF)। OTHER\_DEF श्रेणी में, बाहरी राज्य श्रेणी से संबंधित केवल रक्षा श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर बाहरी राज्य (गृह राज्य में स्थित के अलावा) में सैनिक स्कूल के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें OTHER\_DEF टैग सौंपा गया है।

#### 24. न्यू सैनिक स्कूल- एनएसएस 40% रूट-

(ए) एनएसएस 40- अनरिजर्व रैंक सूची (एनएसएस 40\_यून)। एनएसएस 40\_यून श्रेणी में, उनकी श्रेणी (एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल) के बावजूद उनके अखिल भारतीय रैंक के उम्मीदवारों को नए सैनिक स्कूलों में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। एनएसएस 40 रूट के तहत सीट आवंटन के उद्देश्य से, इन नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए रक्षा श्रेणी के उम्मीदवारों

को सामान्य श्रेणी के तहत माना जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें एनएसएस40\_यूएन, एनएसएस40\_ओबीसी, एनएसएस40\_एससी और एनएसएस40\_एसटी टैग दिया गया है।

(b) NSS40-OBC (NCL) रैंक सूची (NSS\_OBC)। NSS40\_OBC श्रेणी में, OBC-NCL श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर नए सैनिक स्कूलों में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें NSS40\_OBC का टैग दिया गया है।

(c) NSS40-SC रैंक सूची (OTHER\_SC)। NSS40\_SC श्रेणी में, SC श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर नए सैनिक स्कूलों में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें NSS40\_SC टैग दिया गया है।

(d) NSS40-ST रैंक सूची (OTHER\_ST)। NSS40\_SC श्रेणी में, ST श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर नए सैनिक स्कूलों में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें NSS40\_ST टैग दिया गया है।

**25. नए सैनिक स्कूल - एनएसएस के लिए 60% रूट।**

(a) NSS60-Unreserverank list (NSS60\_UN)। NSS60\_UN श्रेणी में, अखिल भारतीय रैंक प्राप्त (मौजूदा स्कूल के छात्रों के बीच) और स्कूल द्वारा भरी गई सीटों के आधार पर उम्मीदवारों को उनके अपने स्कूल में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें NSS60\_UN, NSS60\_OBC, NSS60\_SC, और NSS60\_ST टैग दिया गया है।

(b) एनएसएस 60-ओबीसी (एनसीएल) रैंक सूची (एनएसएस 60\_ओबीसी) उनके अपने स्कूल में आवंटन के लिए। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें NSS60\_OBC का टैग दिया गया है।

(c) NSS60-SC रैंक सूची (NSS60\_SC)। NSS60\_SC श्रेणी में, अखिल भारतीय रैंक प्राप्त (मौजूदा स्कूल के छात्रों के बीच) और स्कूल द्वारा भरी गई सीटों के आधार पर अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके / में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। उसका अपना स्कूल। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें NSS60\_SC टैग दिया गया है।

(d) NSS60-ST रैंक सूची (NSS60\_ST)। NSS60\_ST श्रेणी में, ST श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अखिल भारतीय रैंक और डोमिसाइल के आधार पर नए सैनिक स्कूलों में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्हें NSS60\_ST टैग दिया गया है।

## सीट आवंटन के लिए किस सीट श्रेणियों पर विचार किया जाता है

26. मौजूदा और नए सैनिक स्कूलों के लिए सीट आवंटन के लिए सीट श्रेणियों पर विचार करने का क्रम इस प्रकार है:-

(ए) सैनिक स्कूलों के लिए। केवल गृह राज्य (HS) और बाहरी राज्यों (OS) सीटों के लिए सैनिक स्कूल (SS) प्रणाली के लिए सीट आवंटन क्रम।

S.No	Candidate's category tag	Rank list (s) in which the candidate appears (based on All India Rank)	Which seat candidate is competing for (HS or OS) based on school considered	Sequence of seat categories for allocation
1.	HOME_UN	HOME_UN	HS	HOME_UN
2.	OTHER_UN	OTHER_UN	OS	OTHER_UN
3.	HOME_OBC	HOME_UN and HOME_OBC	HS	1. HOME_UN 2. HOME_OBC
4.	OTHER_OBC	OTHER_UN and OTHER_OBC	OS	1. OTHER_UN 2. OTHER_OBC
5.	HOME_SC	HOME_UN and HOME_SC	HS	1. HOME_UN 2. HOME_SC
6.	OTHER_SC	OTHER_UN and OTHER_SC	OS	1. OTHER_UN 2. OTHER_SC
7.	HOME_ST	HOME_UN and HOME_ST	HS	1. HOME_UN 2. HOME_ST
8.	OTHER_ST	OTHER_UN and OTHER_ST	OS	1. OTHER_UN 2. OTHER_ST
9.	HOME_DEF	HOME_DEF	HS	HOME_DEF
10.	OTHER_DEF	OTHER_DEF	OS	OTHER_DEF

### **टिप्पणी:-**

1. सैनिक स्कूलों में कक्षा VI और कक्षा IX के लिए सीट आवंटन का क्रम पैरा 26 (ए) के अनुसार होगा।
2. कक्षा छठी के लड़के और लड़कियों के लिए सीट आवंटन का क्रम अलग होगा क्योंकि मौजूदा सैनिक स्कूलों में कैटेगरी टैग और जेंडर टैग अलग-अलग हैं और सीटें लिंग के हिसाब से हैं।
3. उम्मीदवारों के लाभ के लिए, रक्षा श्रेणी भरने वाले तटरक्षक/असम राइफल्स कर्मियों के वार्डों को अनारक्षित श्रेणी (गृह राज्य/अन्य राज्य) में माना जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) या श्रेणी को भर दिया है, उन्हें उनकी अपनी श्रेणियों में लागू होने पर विचार किया जाएगा। सेवारत और पूर्व-सेवा के वार्डों के प्रवेश के बाद रिक्तियां होने पर ही उन्हें रक्षा श्रेणी के लिए माना जाएगा।

S.No	Candidate's category tag	Rank list (s) in which the candidate appears	Which seat candidate is competing [All India (AI)]	Sequence of seat categories for allocation
1.	NSS40_UN	NSS40_UN	AI	NSS40_UN
2.	NSS40_OBC	NSS40_UN and NSS40_OBC	AI	1. NSS40_UN 2. NSS40_OBC
3.	NSS40_SC	NSS40_UN and NSS40_SC	AI	1. NSS40_UN 2. NSS40_SC
4.	NSS40_ST	NSS40_UN and NSS40_ST	AI	1. NSS40_UN 2. NSS40_ST

ग) नए सैनिक स्कूलों के लिए। 60% मार्ग-

S.No	Candidate's category tag	Rank list (s) in which the candidate appears	Which seat candidate is competing [CANDIDATE'S SCHOOL SEAT (CSS)]	Sequence of seat categories for allocation
1.	NSS60_UN	NSS60_UN	CSS	NSS60_UN
2.	NSS60_OBC	NSS60_UN and NSS60_OBC	CSS	1. NSS60_UN 2. NSS60_OBC
3.	NSS60_SC	NSS60_UN and NSS60_SC	CSS	1. NSS60_UN 2. NSS60_SC
4.	NSS60_ST	NSS60_UN and NSS60_ST	CSS	1. NSS60_UN 2. NSS60_ST

**टिप्पणी:-**

1. पैरा 26 (बी) और 26 (सी) में उल्लिखित सीट आवंटन का क्रम केवल छठी कक्षा के छात्रों के लिए है जिन्होंने एनएसएस संयोजन का विकल्प चुना है।
2. स्वीकृत न्यू सैनिक स्कूल में यदि जेंडर न्यूट्रल में सीटें भरी जाती हैं, तो उम्मीदवारों को सीट आवंटन लिंग के आधार पर योग्यता के अनुसार होगा।
3. यदि स्कूल ने जेंडर न्यूट्रल और महिला सीटों को अलग-अलग भर दिया है, तो महिला सीटों को पहले महिला उम्मीदवारों को आवंटित किया जाएगा।



27. यदि किसी विद्यालय में किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत उसी विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक समान श्रेणीवार रैंक वाले अभ्यर्थियों की संख्या से कम सीटें उपलब्ध हों, तो उन सभी अभ्यर्थियों को एनटीए द्वारा जारी एआईएसएसईई 2023 सूचना बुलेटिन के पैरा 13.8 के अनुसार उम्मीदवारों की इंटर-से-मेरिट को समाप्त करने के बाद अपेक्षित संख्या में अतिरिक्त सीटें।

### **विवरण का सत्यापन**

28. AISSAC वेबसाइट पर पंजीकरण के समय, उम्मीदवारों को अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता / माता / अभिभावक का नाम, जन्म तिथि और श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, उम्मीदवार अपने अधिवास राज्य और लिंग को बदल सकते हैं, यदि एनटीए पोर्टल पर एआईएसएसईई 2023 पंजीकरण के दौरान गलती से भरा गया। उम्मीदवार को सावधानीपूर्वक दोनों विवरणों की पुष्टि करनी चाहिए। यदि आवंटित स्कूल में भौतिक रिपोर्टिंग के समय, उम्मीदवार को जानकारी पोर्टल पर उम्मीदवार द्वारा पुष्टि की गई जानकारी से मेल नहीं खाती है।

### **स्कूलों के चयन का पंजीकरण और भरना**

29. स्कूलों के पंजीकरण और विकल्पों को भरने के लिए, उम्मीदवारों को <https://mes.ncog.gov.in/sainikschoolecounseling> पर निम्नलिखित क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करना चाहिए:

(ए) एआईएसएसईई 2023 आवेदन संख्या पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इसलिए, AISSEE 2023 योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे AISSAC2023 पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी संदर्भ दस्तावेज़ तैयार रखें।

(बी) एनटीए पोर्टल पर एआईएसएसईई 2023 पंजीकरण के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा।

(ग) ओटीपी दर्ज करने के बाद उम्मीदवारों को अपना पासवर्ड भी सेट करना होगा। इसके बाद, उम्मीदवारों को अब अपने यूजर आईडी के रूप में अपने आवेदन संख्या के साथ साइन इन करना होगा और उनके द्वारा निर्धारित पासवर्ड दर्ज करना होगा।

(डी) सफल लॉगिन पर, उम्मीदवार का विवरण स्वचालित रूप से एआईएसएसईई 2023 पंजीकरण के डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा।

(ई) उम्मीदवारों को विवरण की पुनः पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। विवरण की पुष्टि के बाद ही उम्मीदवार का पंजीकरण सफल माना जाएगा।

(एफ) एआईएसएसईई 2023 पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करने वाले उम्मीदवारों पर किसी भी स्कूल में सीटों के आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(छ) ई-काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए फ्लो चार्ट परिशिष्ट सी में संलग्न है।

(ज) एआईएसएसईई 2023 पोर्टल पर विस्तृत निर्देश प्रदान किए जाएंगे।

30. ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण और च्वाइस भरना निःशुल्क है, यानी उम्मीदवारों को किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

31. स्कूलों की चॉइस फिलिंग एआईएसएसईई 2023 पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों द्वारा चुने गए संयोजनों पर आधारित होगी। उनके द्वारा चुने गए संयोजनों के आधार पर उम्मीदवारों के पास पसंद भरने का निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होगा: -

S No	Combination opted by candidates	Choice Filling option available to candidates			Sequence of Priority to be followed for allocation of seat in schools (P-I / P-II / P-III)		
		SSs#	NSS 40% Route	NSS 60% Route*	SSs	NSS 40% Route	NSS 60% Route*
1.	Sainik Schools(SS) only	9	-	-	P-I	-	-
2.	SS + NSS 40% route(In that order of priority)	9	5	-	P-I	P-II	-
3.	SS+ NSS-40% route+ NSS 60% route(In that order of priority)	9	5	1	P-I	P-II	P-III
4.	SS+NSS-60% route (In that order of priority)	9	-	1	P-I	-	P-II
5.	NSS-40% route + NSS 60% route (In that order of priority)	-	5	1	-	P-I	P-II
6.	NSS 60% route only	-	-	1	-	-	P-I
7.	NSS-40% route only	-	5	-	-	P-I	-

**P-I: प्राथमिकता एक, P-II: प्राथमिकता दो, P-III: प्राथमिकता तीन**

**# एनटीए पोर्टल पर एआईएसएसईई 2023 पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों द्वारा भरा गया सैनिक स्कूल डिफॉल्ट रूप से पहली पसंद होगा और ई-काउंसलिंग के राउंड 1 में इसे बदला नहीं जा सकता है।**

**\* एनएसएस 60 रूट के तहत न्यू सैनिक स्कूल में पहले से पढ़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए स्कूल पोर्टल पर डिफॉल्ट रूप से दिखाई देंगे और गैर-संपादन योग्य होंगे।**

32. उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे पसंद करते समय स्कूलों को ध्यान से प्राथमिकता दें, यह ध्यान में रखते हुए कि केवल भरे गए विकल्पों को ही सीट आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और भरे गए विकल्पों में से केवल एक सीट को ही उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवार।

33. उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए (पोर्टल पर समय-सीमा के अनुसार) वरीयता के क्रम में उनके स्कूल की पसंद भरने के लिए एक विंडो दी जाती है। यह विंडो किसी भी परिस्थिति में विस्तारित नहीं की जाएगी। इस मामले में अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, प्रत्येक उम्मीदवार को सावधानीपूर्वक विकल्प भरने चाहिए। उम्मीदवार को केवल उन स्कूलों का चयन करना चाहिए जिनमें उम्मीदवार शामिल होने के इच्छुक हैं और वरीयता के क्रम में उन्हें प्राथमिकता दें।

34. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे व्यक्तिगत स्कूलों के लिए लागू शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति और अन्य संबंधित जानकारी के लिए स्कूल की वेबसाइट देखें। AISSAC 2023/SSS व्यक्तिगत स्कूलों के लिए लागू शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति आदि संबंधित नियमों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और शुल्क संरचना के संबंध में किसी भी अनुरोध या शिकायत पर विचार नहीं करेगा।

35. उम्मीदवारों को च्वाइस फिलिंग के अंतिम दिन/से पहले अपने च्वाइस को "लॉक" करना होगा। यदि उम्मीदवार अपनी च्वाइस लॉक नहीं करते हैं, तो च्वाइस फिलिंग की समय सीमा समाप्त होने पर अंतिम सहेजे गए च्वाइस अपने आप लॉक हो जाएंगे। एक बार लॉक हो जाने के बाद, उम्मीदवार द्वारा भरे गए विकल्पों को संपादित किया जा सकता है। यदि कोई उम्मीदवार पसंद भरने की अंतिम तिथि से पहले लॉक करने के बाद अपनी पसंद को संपादित करना चाहता है, तो वे पोर्टल पर विकल्पों को अनलॉक करने के लिए उपलब्ध संपादन विकल्प पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार अनलॉक करने के बाद च्वाइस लॉक नहीं करता है, तो सीट आवंटन के लिए अनलॉक करने से पहले अंतिम सहेजे गए विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

36. उम्मीदवारों को पसंद भरने की समय सीमा के बाद अपनी पसंद सूची को संपादित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी, उम्मीदवार अपनी पसंद के क्रम को बदल नहीं सकते हैं या समय सीमा के बाद अपनी पसंद सूची से किसी और स्कूल को जोड़ सकते हैं या किसी स्कूल को हटा सकते हैं। पसंद भरने के लिए। उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन जानकारी दूसरों के साथ साझा करने से दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाता है।

37. प्रत्येक राउंड के शुरू होने से पहले, उम्मीदवारों को फिर से स्कूल च्वाइस फिलिंग का विकल्प दिया जाएगा, जहां उम्मीदवार वरीयता के क्रम में स्कूलों को प्राथमिकता दे सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए हर राउंड के लिए नया पंजीकरण उपलब्ध होगा। उस दौर की खाली स्कूल सीट के लिए नए पंजीकृत उम्मीदवार को स्कूलों की नई च्वाइस फिलिंग उपलब्ध होगी।

### **सीट आवंटन के बाद उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध विकल्प**

38. AISSAC 2023 पोर्टल पर लॉग इन करना और यह जांचना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि सीट आवंटन के दिए गए दौर में सीट आवंटित की गई है या नहीं। प्रत्येक गतिविधि के बाद वेबसाइट पर ई-काउंसलिंग गतिविधियों का शिड्यूल अपडेट किया जाएगा। यदि उम्मीदवार को एक सीट आवंटित की जाती है, तो उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होगा, जिसके लिए उम्मीदवार को दिए गए दौर के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि/समय से पहले कार्रवाई (स्वीकार/पुनर्विचार/निकास) करने की आवश्यकता है, अर्थात्, राउंड इन कौन सी सीट आवंटित की गई है, अन्यथा, उम्मीदवार को आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और यह माना जाएगा कि उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया में रुचि नहीं रखता है और आगे उम्मीदवार काउंसलिंग के किसी भी दौर में भाग नहीं ले पाएगा या किसी भी स्कूल में प्रवेश का दावा नहीं कर पाएगा। AISSEE 2023 मेरिट के आधार पर। स्कूल आवंटन के बाद उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होगा:-

(ए) स्वीकार करें- यदि कोई उम्मीदवार आवंटित सीट को स्वीकार करता है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर (समय-सीमा के अनुसार) प्रवेश औपचारिकताएं (चिकित्सा सह भौतिक सत्यापन) पूरी करनी होंगी। ऐसा करने में विफल रहने पर, उम्मीदवार AISSEE 2023 परीक्षा की योग्यता के आधार पर किसी भी सैनिक स्कूल में काउंसलिंग के किसी और दौर में भाग नहीं ले पाएगा या प्रवेश का दावा नहीं कर पाएगा।

(बी) पुनर्विचार- यदि कोई उम्मीदवार आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं है, तो वह शेष उपलब्ध सीटों के लिए काउंसलिंग के अगले दौर में भाग लेने के लिए 'पुनर्विचार' विकल्प चुन सकता है। हालांकि, ऐसा करने पर आवंटित सीट स्वतः रद्द हो जाएगी और आगे कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(सी) बाहर निकलें- यदि कोई उम्मीदवार 'बाहर निकलें' विकल्प का चयन करता है तो यह माना जाएगा कि उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो रहा है और आगे उम्मीदवार AISSEE 2023 मेरिट के आधार पर किसी भी स्कूल में काउंसलिंग के किसी भी दौर में भाग लेने या प्रवेश का दावा करने में सक्षम नहीं होगा। उम्मीदवार जो किसी भी दौर में आवंटित सीट पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उन्हें सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से बाहर निकलने का विकल्प आवंटित किया जाएगा और आगे, ऐसे उम्मीदवार आगामी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सीट आवंटन में और भाग नहीं ले सकते हैं।

### **सीट की अनंतिम पेशकश और इसकी पुष्टि**

39. एक उम्मीदवार जिसे उसके द्वारा भरे गए विकल्पों और योग्यता के अनुसार किसी भी स्कूल में एक सीट आवंटित और स्वीकार की गई है, उसे निर्धारित समय के भीतर प्रवेश औपचारिकताओं (दस्तावेजों का चिकित्सा सह भौतिक सत्यापन) को पूरा करना होगा ( पोर्टल पर समयरेखा के अनुसार)। ऐसा करने में विफल रहने पर, उम्मीदवार AISSEE 2023 परीक्षा की योग्यता के आधार पर किसी भी सैनिक स्कूल में काउंसलिंग के किसी और दौर में भाग नहीं ले पाएगा या प्रवेश का दावा नहीं कर पाएगा। आवंटित स्कूल को स्वीकार करने वाले उम्मीदवार को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-

(ए) चरण-1- चिकित्सा केंद्र में रिपोर्ट करना- सीट स्वीकृति के बाद, उम्मीदवारों को प्रवेश लेने वाले स्कूल द्वारा आवंटित स्लॉट के अनुसार चिकित्सा परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। अपने बेटे/बेटी का मेडिकल कराना माता-पिता की जिम्मेदारी है, हालांकि, माता-पिता को कोई समस्या होने पर, स्कूल चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने में उम्मीदवारों को मदद प्रदान करेगा। मौजूदा सैनिक स्कूलों के लिए इस प्रारूप का प्रारूप मेडिकल फॉर्म AISSAC पोर्टल पर उपलब्ध होगा। स्वीकृत नए सैनिक स्कूल के लिए उम्मीदवारों को एक पंजीकृत सरकारी चिकित्सक से मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।

(बी) चरण-2- आवंटित स्कूल द्वारा भौतिक सत्यापन- मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट के बाद, उम्मीदवारों को प्रवेश देने वाले स्कूल में रिपोर्ट करना होगा, और प्रवेश लेने वाले स्कूल में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यदि ये प्रचलित मानदंडों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए, वैध प्रमाण पत्र या दस्तावेज तैयार रखना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। प्रवेश देने वाले विद्यालय में भौतिक रिपोर्टिंग के समय सभी प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सैनिक स्कूलों के लिए सांकेतिक दस्तावेजों की एक सूची में दी गई है।

(c) चरण-3- शुल्क का भुगतान- उपरोक्त दो चरणों को पूरा करने या प्रवेश करने वाले विद्यालय की अन्य प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, स्कूल की फीस का भुगतान करें और प्रवेश की पुष्टि करें।

**सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि वे प्रवेश टैब पर क्लिक करके उम्मीदवारों की स्थिति को अद्यतन करें।**

यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी यात्रा की योजना इस तरह बनाएं कि दस्तावेजों का मेडिकल सह भौतिक सत्यापन काउंसलिंग राउंड के अंतिम दिन तक पूरा हो जाए, जिसमें उन्हें एक सीट आवंटित की जाती है (यदि कोई हो) [पोर्टल पर समयरेखा के अनुसार]। इस संबंध में कोई अपवाद नहीं किया जाएगा।

40. उम्मीदवार 'होल्ड' पर- उम्मीदवारों को निम्नलिखित मामलों में इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है:-

(ए) उम्मीदवारों को मेडिकली अनफिट घोषित किया गया- प्रधानाचार्य को अभ्यावेदन किए जाने के अलावा अन्य मामलों में चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। प्राचार्य स्वयं अपील की जांच करेंगे और यदि मामला गुण-दोष की मांग करता है तो उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के संदर्भ में निर्णय लेंगे। एक मामला जिसमें पिछले मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष का मुकाबला करने के लिए सक्षम चिकित्सा राय का उत्पादन किया जाता है, सामान्य रूप से समीक्षा की योग्यता होगी। ऐसे मामलों को प्राचार्य द्वारा 'होल्ड' पर रखा जाएगा। इसके बाद, प्रधानाचार्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय कर सकते हैं जैसा कि पहले स्कूलों में मैनुअल प्रवेश में किया गया था और उम्मीदवार की पुनः परीक्षा के लिए एक समीक्षा चिकित्सा बोर्ड की व्यवस्था करें। यदि समीक्षा मेडिकल बोर्ड उसे प्रवेश के लिए फिट पाता है, तो प्राचार्य पोर्टल पर उम्मीदवार को 'स्वीकार' करेंगे और उसे स्कूल में प्रवेश देंगे यदि उसकी अस्वीकृति केवल भौतिक सत्यापन और शुल्क के भुगतान के बाद मेडिकल फिटनेस की कमी के कारण हुई थी। समीक्षा मेडिकल बोर्ड आयोजित करने के लिए स्कूल रु.100/- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से रु.50/-) का शुल्क लेगा। हालांकि, उम्मीदवार को अपने खर्च पर निर्धारित स्थान पर रिव्यू मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। UNFIT रिपोर्ट के मामले में, प्रिंसिपल पोर्टल पर रिजेक्ट बटन पर क्लिक करेगा।

(बी) दस्तावेजों में विसंगतियां- भौतिक सत्यापन के दौरान दस्तावेजों में किसी भी तरह की विसंगति के मामले में, आवंटित स्कूल द्वारा उठाए गए प्रश्नों (यदि आवश्यक हो) का उम्मीदवारों द्वारा दिए गए दौर के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि/समय के भीतर जवाब दिया जाना चाहिए [पोर्टल पर समयरेखा के अनुसार]। यदि विसंगति(एँ) अभी भी बनी रहती है तो स्कूल द्वारा अतिरिक्त प्रश्न(एँ) उठाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को दिए गए दौर के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि/समय के भीतर [पोर्टल पर समयरेखा के अनुसार] अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। आवंटित सीट की पुष्टि या रद्द कर दी जाएगी, जो प्रश्न (ओं) के जवाब में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) की वैधता और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार के आधार पर होगी। उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहने पर सीट रद्द हो जाएगी और इसे प्रस्ताव की अस्वीकृति माना जाएगा। मामले की वास्तविकता के कारण ऐसे मामलों को प्रिंसिपल द्वारा अपने विवेक से 'होल्ड' पर भी रखा जा सकता है।

(c) सभी होल्ड मामलों में, स्कूल की सीट को ब्लॉक कर दिया जाएगा और तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि स्कूल पोर्टल पर उम्मीदवार की स्थिति को स्वीकार/अस्वीकार नहीं कर देता।

41. यह माता-पिता/उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वे अपनी यात्रा की योजना इस तरह बनाएं कि ई-काउंसलिंग राउंड के अंतिम दिन तक दस्तावेजों की समीक्षा चिकित्सा सह भौतिक सत्यापन पूरा हो जाए, जिसमें उन्हें एक सीट आवंटित की जाती है (यदि कोई हो) [के अनुसार] समयरेखा]। इस संबंध में कोई अपवाद नहीं किया जाएगा।

42. माता-पिता को यह भी सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए स्कूल के आवंटन के मामले में फीस के भुगतान के लिए पंजीकरण और पसंद भरने के समय पर्याप्त धनराशि तैयार रखें। चिकित्सा मानकों (समीक्षा चिकित्सा सहित) सह भौतिक सत्यापन की फिटनेस के अधीन समय-सीमा के भीतर शुल्क का भुगतान न करना, स्कूल में प्रस्तावित/आवंटित सीट को अस्वीकार करने के तरीकों में से एक है और इसे अस्वीकृति माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, स्कूल कारणों से उम्मीदवार को अस्वीकार कर सकता है और उम्मीदवार आगे के दौर में सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा।

43. आवंटित सीट पर प्रतिक्रिया नहीं देने वाले उम्मीदवार आगामी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सीट आवंटन में और भाग नहीं ले सकेंगे।

### दस्तावेज़ में श्रेणी/लिंग/अधिवास संबंधी विसंगतियां

44. लिंग विसंगतियां- यदि कोई महिला उम्मीदवार गलत तरीके से अपने लिंग को पुरुष के रूप में घोषित करती है और उसे उस स्कूल में सीट आवंटित की जाती है जहां महिला उम्मीदवारों को प्रतिबंधित किया जाता है, तो आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी। इसी तरह, यदि कोई पुरुष उम्मीदवार महिला के रूप में गलत लिंग घोषित करता है और केवल महिला सीट आवंटित की जाती है, तो आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को सीट आवंटन के बाद के दौर (यदि कोई हो) में सीट आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।

45. अधिवास विसंगतियां- निवास स्थान में त्रुटि होने पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(ए) पात्रता का राज्य कोड AISSAC डेटाबेस में सही किया जाएगा।

(बी) सीट का प्रतिधारण / रद्दीकरण निम्न तालिका द्वारा निर्धारित किया जाएगा:

Eligibility	Allocated seat quota	Action
Outsidestatequota	Outsidestatequota	SeatwillNOTbecancelled
Outsidestatequota	Homestatequota	Seatwillbecancelled
Homestatequota	Outsidestatequota	Seatwillbecancelled

(सी) सीट आवंटन (यदि कोई हो) के लिए शेष सीटों के लिए बाद के दौर में सीट आवंटन के लिए उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा, बशर्ते अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

46. श्रेणी विसंगतियां- उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने गलत तरीके से श्रेणी घोषित की और यदि भौतिक सत्यापन के दौरान बाद के चरण में देखा गया तो उम्मीदवार का श्रेणी टैग (सीट आवंटन के उद्देश्य से) सामान्य में बदल दिया जाएगा और उम्मीदवार को बाद के दौर में सीट आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। सीट आवंटन के लिए शेष सीटों के लिए (यदि कोई हो), बशर्ते अन्य सभी आवश्यकताएं पूरी हों।

47. विद्यालयों के प्रधानाचार्य पैरा 44 से 46 में उल्लिखित सभी तीन प्रकार की स्थितियों को सैनिक स्कूल सोसायटी के समक्ष विचार और आगे के निर्णय के लिए उजागर करेंगे। ऐसी विसंगतियों के संबंध में एसएसएस का निर्णय अंतिम होगा।

48. AISSAC कंप्यूटर सर्वर के खराब होने के कारण सेवा में देरी या व्यवधान को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा और वेब पोर्टल पर अधिसूचित किया जाएगा। इस संबंध में AISSAC/SSS के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

49. शिकायत निवारण/हेल्पडेस्क:

(ए) एआईएसएसएसी 2023 के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, कृपया प्रवेशों@sainikschoolssociety.in पर संपर्क करें या किसी भी सैनिक स्कूल से संपर्क करें। (संपर्क और मेल आईडी पोर्टल पर दी गई है)

(बी) एसएसएस द्वारा ऐसी शिकायतों के संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

### अस्वीकरण:-

समय-समय पर परिवर्तनों को नोट करने या ई-काउंसलिंग पर नवीनतम अपडेट के लिए कृपया AISSEE 2023 पोर्टल पर नियमित रूप से काउंसलिंग शेड्यूल और अन्य निर्देश देखें।

## सैनिक स्कूलों की सूची

S.No.	Name of Sainik School	State
1.	Sainik School, Kalikiri	Andhra Pradesh
2.	Sainik School, Korukonda	
3.	Sainik School, East Siang	Arunachal Pradesh
4.	Sainik School, Goalpara	Assam
5.	Sainik School, Nalanda	Bihar
6.	Sainik School, Gopalganj	
7.	Sainik School, Ambikapur	Chattisgarh
8.	Sainik School, Balachadi	Gujarat
9.	Sainik School, Kunjpura	Haryana
10.	Sainik School, Rewari	
11.	Sainik School, Sujapur Tira	Himachal Pradesh
12.	Sainik School, Nagrota	J&K
13.	Sainik School, Tilaiya	Jharkhand
14.	Sainik School, Bijapur	Karnataka
15.	Sainik School, Kodagu	
16.	Sainik School, Kazhakoottam	Kerala
17.	Sainik School, Rewa	Madhya Pradesh
18.	Sainik School, Satara	Maharashtra
19.	Sainik School, Chandrapur	
20.	Sainik School, Imphal	Manipur
21.	Sainik School, Chhingchhip	Mizoram
22.	Sainik School, Punglwa	Nagaland
23.	Sainik School, Bhubaneswar	Odisha
24.	Sainik School, Sambalpur	
25.	Sainik School, Kapurthala	Punjab
26.	Sainik School, Chittorgarh	Rajasthan
27.	Sainik School, Jhunjhunu	
28.	Sainik School, Amaravathinagar	Tamil Nadu
29.	Sainik School, Mainpuri	Uttar Pradesh
30.	Sainik School, Jhansi	
31.	Sainik School, Amethi	Uttarakhand
32.	Sainik School, Ghorakhal	
33.	Sainik School, Purulia	West Bengal

स्कूल वेबसाइट लिंक AISSAC पोर्टल पर स्कूल सूचना टैब पर उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया स्कूलों की वेबसाइट देखें।

**स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों की सूची (साझेदारी मोड में)**

<b>S No</b>	<b>School Name</b>	<b>State</b>
1.	Adani world school	Andhra Pradesh
2.	Dayanand Public School	Punjab
3.	Keshav Saraswati Vidya Mandir	Bihar
4.	Netaji Subhas Chandra Bose Military	Dadra And Nagar Haveli
5.	PadmashreeDr.VitthalraoVikhe Patil Sainik School	Maharashtra
6.	Raj LuxmiSamvidGurukulam	Himachal Pradesh
7.	Royal International Residential School	Haryana
8.	SangolliRayanna Sainik School	Karnataka
9.	Saraswati Vidhya Mandir Higher Secondary School	Madhya Pradesh
10.	Shri Baba Mastnath Residential Public School	Haryana
11.	Shri Brahmanand Vidya Mandir	Gujarat
12.	Shri. Motibhai. R. Chaudhari Sagar Sainik School	Gujarat
13.	SK International School	Maharashtra
14.	Sundari Devi Saraswati Vidya Mandir	Bihar
15.	Tawang Public School	Arunachal Pradesh
16.	The Vikasa School	Tamil Nadu
17.	Vedvayasa Vidyalaya Senior Secondary School	Kerala
18.	Viveka School of Excellence	Karnataka

**स्कूल वेबसाइट लिंक AISSAC पोर्टल पर स्कूल सूचना टैब पर उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया स्कूलों की वेबसाइट देखें।**



**ALL INDIA SAINIK SCHOOLS ADMISSIONS COUNSELLING (AISSAC) 2023**

**FLOW CHART OF AISSAC COUNSELING - 2023**

